सप्तदश बिहार विधान सभा

चतुर्दश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-19.03.2025 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री भाई वीरेन्द्र, स०वि०स० श्री मुकेश कुमार रौशन, स०वि०स० श्री अवध विहारी चौधरी, स०वि०स० श्री हरिशंकर यादव, स०वि०स० श्री राम विशुन सिंह, स०वि०स०	''पटना जिलान्तर्गत साधारण मिट्टी (धूस मिट्टी) का राज्य सरकार द्वारा मात्र एक बख्तियारपुर में घाट चालू किया गया है । जबकि दानापुर, मनेर में भी पूर्व में बालू घाटों का बन्दोबस्ती किया जाता था। शहर में आम लोगों द्वारा हजारों की संख्या में भवन निर्माण एवं संवेदकों द्वारा सैकड़ों लोक निर्माण कार्यो को किया जा रहा है । जिससे साधारण मिट्टी (धूस मिट्टी) बिचौलियों के द्वारा मनमाने दामों में बेचा जा रहा है । जिसके कारण आम लोगों सहित संवेदकों को काफी अधिक राशि का भुगतान से निर्माण कार्य का व्यय भार बढ़ रहा है । अतः पटना जिला के दानापुर एवं मनेर में भी साधारण मिट्टी (धूस मिट्टी) के अन्य घाटों की बन्दोबस्ती करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं।''	खान एवं भूतत्व

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्री सत्यदेव राम, स०वि०स० श्री सतीश कुमार, स०वि०स० श्री संदीप सौरभ, स०वि०स० श्री अमरजीत कुशवाहा, स०वि०स० श्री महानंद सिंह, स०वि०स० श्री राम बली सिंह यादव, स०वि०स० श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, स०वि०स० श्री अजीत कुमार सिंह, स०वि०स० श्री गोपाल रविदास, स०वि०स०	" अनुसूचित जाति उप योजना (SCSP) तथा जनजाति उप योजना (TSP) अंतर्गत सरकार SC / ST की जनसंख्या के अनुपात में उनके कल्याण के लिए बजट में प्रावधान करती है जिसका व्यय उनके सीधे लाभ पहुँचने वाली योजनाओं पर ही करना है, परन्तु ऐसा नहीं होकर और फंड को डायवर्ट कर दिया गया है । CAG रिपोर्ट Finance Account Vol-II 2021-22 के अनुसार उक्त वर्ष तक, सरकार ने 17445 करोड़ रूपये गैर SC / ST योजनाओं पर डायवर्ट किया है । बिहार बजट 2023-24 के अनुसार 16 विभागों में वर्ष 2021-22 में 10799 करोड़, वर्ष 2022-23 में 18450 करोड़ और वर्ष 2023-24 में 11796 करोड़ रूपये गैर SC / ST योजनाओं पर डायवर्ट किया है । भारत सरकार के SCSP पोर्टल के अनुसार 2018-19 से 2020-21 तीन वर्षों में पीएम आवास योजना ग्रामीण में केन्द्रांश 2143.80 करोड़ तथा राज्यांश 40 प्रतिशत सहित लगभग 3000 करोड़ रूपये गैर SC एवं अन्य योजनाओं में भी इस मद की राशि को डायवर्ट किया जाता है । अतः SCSP एवं TSP फंड के डायवर्सन पर रोक लगाने तथा आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के तर्ज पर SCSP एवं TSP कानून बनाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं।"	विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा

ख्याति सिंह
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-11/25- 176 /वि०स०, पटना, दिनांक- 18 मार्च, 2025 ई०।

प्रति:- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(रविन्द्र पंडित) 18.03.25
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-11/25- 176 /वि०स०, पटना, दिनांक- 18 मार्च, 2025 ई०।

प्रति:- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्रिगण के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रिगण एवं मंत्रिगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(रविन्द्र पंडित) 18.03.25
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-11/25- 176 /वि०स०, पटना, दिनांक- 18 मार्च, 2025 ई०।

प्रति:- मुख्य सचिव, बिहार / महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / **खान एवं भूतत्व विभाग एवं विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(रविन्द्र पंडित) 18.03.25
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-11/25- 176 /वि०स०, पटना, दिनांक- 18 मार्च, 2025 ई०।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रभारी सचिव के प्रधान आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

(रविन्द्र पंडित) 18.03.25
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।
18-03-25